न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 04/2022

बउनवान

1. श्यामबिहारी आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 बसन्ती लाल
2. मुकेश कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र स्व0 बसन्ती लाल जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम जयनगर तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
3. संतोष बाई आयु 42 वर्ष पुत्री स्व0 बसन्तीलाल पत्नि भगवानलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम जयनगर हाल निवासी खल्दा छतरगंज तह0 किशनगंज जिला बारां **(अपीलांटगण)**

बनाम

1. चम्पा बाई पत्नि स्व0 बसन्ती लाल जाति धाकड़
2. जगन्नाथ पुत्र श्री बसन्तीलाल जाति धाकड़
3. राजू बाई पुत्री श्री बसन्तीलाल जाति धाकड़
4. रामहेतार पुत्र श्री बसन्तीलाल जाति धाकड़ निवासीगण जयनगर तह0 अन्ता जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंट्स)**

अपील बनाराजगी नामा. कमांक 660 आदेश दिनांक 08.06.2021
स्वीकृत दिनांक 28.09.2021 तहसीलदार अन्ता,
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री सुरेन्द्र मीणा एडवोकेट **(अपीलांटगण)**
2. श्री लालसिंह मारन एडवोकेट **(रेस्पोडेन्ट्स)**

निर्णय दिनांक 20.01.2023

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जयनगर, तहसील अन्तां में आराजियात खाता संख्या 143 पुराना 137 में वर्णित खसरा नं0 235 रकबा 0.30 हेक्टर अपीलांट्स के पिता बसन्तीलाल पुत्र नारायण जाति धाकड़ निवासी जयनगर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। रेस्पो0 कम 1 ता 4 के पति/पिता के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात वर्तमान खाता संख्या 142 पुराना 136 में वर्णित खसरा नंबर 171 रकबा 1.54 है., 193 रकबा 2.51 है. किता 2 रकबा 4.05 है. एवं खाता संख्या 260 पुराना 144 में वर्णित खसरा नंबर 134 रकबा 0.14 है., 135 रकबा 1.36 है., 177 रकबा 0.94 है., 215 रकबा 2.02 है., 218 रकबा 1.91 है., 250 रकबा 0.39 है., 68 रकबा 0.10 है., 73 रकबा 0.14 है. किता 8 रकबा 7.00 है. स्थित है। रेस्पो0 कम 1 ता 4 के पति/पिता की मृत्यु के पश्चात इन्तकाल खुलवाने हेतु रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेस्पो0 कम 5 ने बिना तहकीकात के रेस्पो0 कम 1 ता 4 के पति/पिता के खाते दर्ज आराजी के साथ–साथ अपीलांट्स के पिता के खाते दर्ज आराजीयात भी इन्तकाल [illegible] 1 ता 4 के खाते दर्ज कर दी। क्योंकि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के पिता [illegible] जाति व गांव समान था। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स [illegible] खसरा नं0 235 रकबा 0.30 हेक्टर से सम्बन्धित खोला गया [illegible] विरूद्ध होने से [illegible] योग्य है। अपीलांट्स के पिता की मृत्यु होने पर उन्होने पटवारी हल्का से इन्तकाल खु[illegible]हेतु सम्पर्क किया तब जानकारी में आया कि उनके पिता की आराजीयात का इंतकाल रेस्पोडेन्ट्स के नाम पर दिनांक 06.08.2021 को खुल चुका है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामांतकरण संख्या 660 निरस्त फरमाया जाकर ग्राम जयनगर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:08 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा नं0 235 रकबा 0.30 हेक्टर का इन्तकाल अपीलांट्स के नाम खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 4 स्वंय उपस्थित हुआ। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं उपस्थित रेस्पोडेन्ट क्रम 4 की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के पिता एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 के पति/पिता का नाम, जाति एवं निवास स्थान समान होने के कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 के पति/पिता की मृत्यु होने पर बगैर तहकीकात रेस्पोडेन्टगण के पति/पिता की आराजीयात के साथ साथ अपीलांट्स के पिता के खातेदारी की आराजीयात का नामान्तकरण भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 के पक्ष में खोल दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम जयनगर का नामान्तकरण संख्या 660 निरस्त फरमाया जाकर ग्राम जयनगर की आराजी खसरा नं0 235 रकबा 0.30 हेक्टर का इन्तकाल अपीलांट्स के नाम खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस उपस्थित रेस्पोडेन्ट क्रम 4 ने अभिभाषक अपीलांट्स के कथन की पुष्टि करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि की पुष्टि की। तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं उपस्थित स्वंय रेस्पोडेन्ट क्रम 4 के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण द्वारा विवादित आराजी वाके ग्राम जयनगर खसरा नं0 235 रकबा 0.30 हेक्टर बसन्तीलाल पुत्र नारायण के वारिसान के स्थान पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 के हक में खोला गया। अपीलांट्स का कथन है कि उनके पिता बसन्तीलाल के खाते की आराजी का गलत रूप से रेस्पोडेन्ट्स के हक में नामान्तरकरण खोला गया। चूंकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 के पति/पिता का नाम, वल्दियत, जाति एवं निवासी भी [illegible] नही था। उक्त कथन का विरोघ उपस्थित रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा भी नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाकर ग्राम जयनगर का नामान्तकरण [illegible] 8.09.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अन्ता [illegible] षित किया जाता है कि मृतक [illegible] बसन्तीलाल पुत्र नारायण के वा[illegible] नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को [illegible] वाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)